



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 529 राँची, बुधवार, 22 आश्विन, 1942 (श०)
14 अक्टूबर, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

28 सितम्बर, 2020

संख्या-5/आरोप-1-18/2019-10251 (HRMS)-- श्रीमती शुभा रानी, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच, गृह जिला-बोकारो), तत्कालीन अंचल अधिकारी, गम्हरिया के विरुद्ध आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमंडल, चाईबासा के पत्रांक-132/गो0, दिनांक 24.06.2016 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके विरुद्ध आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमंडल, चाईबासा द्वारा दिनांक 16.03.2016 को अंचल कार्यालय, गम्हरिया के निरीक्षणोपरांत दिये गये निदेशों का अनुपालन नहीं करना, उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना, स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहीनता, कपटपूर्ण तरीके से अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से व्यवहार न्यायालय, सरायकेला-खरसावाँ द्वारा स्वत्व वाद सं0-35/2010 में दिनांक-28.01.2014 को दिये गये न्याय निर्णय के विरुद्ध कार्य करने एवं सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रतिकूल आचरण करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-6712, दिनांक 04.08.2016 द्वारा श्रीमती रानी से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इसके अनुपालन में श्रीमती रानी के पत्रांक-24/रा0, दिनांक 16.08.2016 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्रीमती रानी द्वारा अपने स्पष्टीकरण में

उल्लेखित किया गया कि आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमंडल, चाईबासा द्वारा अंचल कार्यालय, गम्हरिया के निरीक्षणोपरांत दिये गये निदेशों का अनुपालन नहीं करने का आरोप निराधार एवं तथ्यहीन है। इनके द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि न्यायादेश के विरुद्ध इनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है तथा कर्तव्यहीनता एवं लापरवाही का आरोप पूर्णतः निराधार, तथ्यहीन एवं अभिलेखीय तथ्यों के प्रतिकूल है।

श्रीमती रानी के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-8707, दिनांक 06.10.2016 द्वारा आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमंडल, चाईबासा से मंतव्य की माँग की गई। आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमंडल, चाईबासा के पत्रांक-332, दिनांक 15.05.2017 द्वारा श्रीमती रानी के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया। आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमंडल, चाईबासा द्वारा श्रीमती रानी को आरोप मुक्त करने के अनुसंसा की गयी।

श्रीमती रानी के विरुद्ध गठित आरोप, आरोपो पर उनका स्पष्टीकरण एवं आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमंडल, चाईबासा के मंतव्य के समीक्षोपरांत, श्रीमती शुभा रानी, तत्कालीन अंचल अधिकारी, गम्हरिया, सम्प्रति-अंचल अधिकारी, नामकुम को इस मामले में आरोप मुक्त किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	SHUBHRA RANI 110021163081	श्रीमती शुभा रानी, तत्कालीन अंचल अधिकारी, गम्हरिया, सम्प्रति-अंचल अधिकारी, नामकुम को इस मामले में आरोप मुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972
